

18/2/25

पत्रावली काज पेश हुई। गरीब व गरीबी के कबील
किनु। न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन बार
कावाले लगाइ गई बाकजुद गरीबी व इनके अधिक
गैर हाजिर रहे। अतः पत्रावली गैर हाजिरी एवम्
फैरवी में खारीज की जाती है पत्रावली कुलल शुमार
होकर साबिले इफतार हो एवम् नम्बर से कम हो



सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन